

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद-कासगंज।

संख्या :-1230/अधि0/स0सु0/2020

लखनऊ दिनांक :-17.06.2020

--: अधिसूचना :-

चूंकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर नियमावली-1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम-1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर नियमावली, 1988 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कासगंज जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र०सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक जहां गति निबंधित रहेगी)	यान की श्रेणी अनुसार अधिकतम गति सीमा (Speed Limit) निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू. व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 2,3 एवं 4 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2		3	4	5	6
1	कासगंज अतरौली मार्ग (SH-33)	गुलाबी नगला से भामोन तक	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
2	अलीगंज सोरों मार्ग (MDR-86)	जय अम्बे गैस्ट हाउस सहावर रोड से ढकपुरा ग्राम तक	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
3	एटा गंजडुण्डवारा मार्ग (MDR-45)	गंजडुण्डवारा रेलवे फाटक से बकावली तक	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
4	सोरों सहावर मार्ग (एल. जी.सी.-गोरहा नहर पटरी मार्ग) (MDR-90)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोरों से जमालपुर ग्राम तक	40 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
5	कासगंज अमांपुर मार्ग (ODR)	पहाड़पुर से नगला चिन्ती तक	40 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
6	कासगंज इस्माइलपुर मार्ग (ODR)	इस्माइलपुर रेलवे फाटक से महमूदपुर पुख्ता तक	40 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
7	एटा कासगंज मार्ग से अमरपुर घाट होते हुए कासगंज अमांपुर मार्ग तक (ODR)	अमांपुर बस स्टेण्ड से अमरपुर तक	40 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
8	कासगंज सहावर मार्ग (चांडी ब्रिज मार्ग)	बरेली रेलवे कॉसिंग से जमालपुर तक	40 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा

	(ODR)					
9	कासगंज सलेमपुर बीबी मार्ग (ODR)	अशोकनगर फाटक से सलेमपुर बीबी तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
10	एटा कासगंज मार्ग (ODR)	बांकनेर पुल से कुरामई तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
11	सिद्धपुरा पटियाली मार्ग(ODR)	किलौनी से प्यारमपुर तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
12	पहरा रुदायन मार्ग(ODR)	पहरा से रुदायन तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
13	पटियाली नरदौली मार्ग(ODR)	चाकरपुर से नरदौली तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
14	अलीगंज सोरों मार्ग से गौसगंज दम्पुरा म्याऊँ कादरगंज मार्ग तक(ODR)	गौसगंज से कादरगंज तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
15	गंजडुण्डवासा कादरगंज गंगपुर मार्ग(ODR)	नवादा से गंगपुर तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
16	नगला बक्सी भरगैन मार्ग(ODR)	नगला बक्सी से भरगैन तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
17	अमांपुर सिद्धपुरा मार्ग(ODR)	ददवारा से रायपुर तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
18	धुमरी पटियाली मार्ग(ODR)	उतरना से नवल नगला तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
19	बागवाला सिद्धपुरा मार्ग (ODR)	बूढ़रा ग्राम से हमीरपुर ग्राम तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
20	धुमरी सिद्धपुरा मार्ग(ODR)	धर्मपुरा से तैयवपुर तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
21	कासगंज गढ़ी पचगाई ढोलना मार्ग(ODR)	गुलाबी नगला से ढोलना तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
22	अलीगढ़ सोरों मार्ग (दरियाबगंज) से बघरई(ODR)	दरियाबगंज से बघरई तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
23	न० बेरू धर्मपुर शहवाजपुर न्यौली गोलाकुआं मार्ग(ODR)	धर्मपुर शहवाजपुर से न्यौली तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
24	गंजडुण्डवासा सुन्नगढ़ी मार्ग(ODR)	सुजाबलपुर से सुन्नगढ़ी तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
25	शहवाजपुर सहावर मार्ग(ODR)	ग्राम बोंदर से शहवाजपुर तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
26	सहावर सिद्धपुरा मार्ग(ODR)	सहावर ब्लॉक से सिद्धपुरा-गंजडुण्डवासा मार्ग पर मोहनपुर रोड तिराहा तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
27	एटा अमांपुर सहावर मार्ग (ODR)	तिराहा एटा-कासगंज रोड से बनुपुरा पुलिया तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
28	अमांपुर मोहनपुर मार्ग(ODR)	तिराहा मोहनपुर रोड से सिरौरी ग्राम तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
29	ढोलना इखौना चिलकुली कुईया मार्ग(ODR)	ढोलना से चिलकुली कुईया तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
30	बदरिया अलीपुर बरबारा बाया सिरावली मार्ग(ODR)	बदरिया से अलीपुर बरबारा तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
31	पाठकपुर धर्मपुर चण्डौस मार्ग(ODR)	पाठकपुर से चण्डौस तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
32	न्यौली सियारपुर जमालपुर मार्ग(ODR)	नगरिया से जमालपुर तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा

33	ढोलना अथैया मार्ग(ODR)	ग्राम ढोलना से अथैया चौराहा तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
34	बदरिया बरकुला किरामई मार्ग(ODR)	बदरिया ग्राम से बरकुला किरामई ग्राम तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा -

- 1- मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें इसके लिए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा-
 - अ) अग्नि शमन वाहन
 - ब) एम्बुलेंस
 - स) पुलिस वाहन
 - द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अश्व सैन्य बल के लिय प्रयुक्त होने वाले वाहन
 - य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिय प्रयुक्त वाहन।
- (3) उपरोक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा-112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या-1377, दिनांक 06.04.2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

17.6.2020
(राजेश राजपूत)

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद-कासगंज।

पृ0सं0 1239/अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- परिवहन आयुक्त महोदय, उ0प्र0।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
- 3- जिलाधिकारी महोदय, कासगंज।
- 4- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
- 5- उप परिवहन आयुक्त (आगरा परिक्षेत्र), आगरा।
- 6- संभागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कासगंज।
8. जिला सूचना अधिकारी, जनपद कासगंज को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को अपने स्तर से निःशुल्क समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. सम्पादक, अमर उजाला, कासगंज को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद-कासगंज।